संख्या-79/2015/2083/30-3-15-20बी/2013

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 24 सितम्बर, 2015

विषय- सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, सिद्धार्थनगर में व्यावसायिक वाहनों की स्वस्थता जॉच हेतु निरीक्षण कक्ष एवं फिटनेस पिट के निर्माण हेतु द्वितीय किस्त/अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1652ए/2015-15नजारत/2013, दिनॉक 25-08-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय-महराजगंज, अम्बेडकरनगर, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी व बलरामपुर में 01 निरीक्षण कक्ष एवं 01 फिटनेस पिट के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-80/3117/30-3-14-20बी/2013, दिनॉक 07-11-2014 द्वारा प्रदान की गयी धनराशि रू0 86.30 लाख (रू0 छियासी लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में यह अवगत कराते हुए कि सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय-सिद्धार्थनगर में निरीक्षण कक्ष व फिटनेस पिट के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी प्रथम किस्त की धनराशि रू0 8.63 लाख का उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण द्वितीय किस्त/अवशेष धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है, तदनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रावधानित द्वितीय किस्त/अवशेष धनराशि रू0 8.63 लाख है की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय-सिद्धार्थनगर में निरीक्षण कक्ष व फिटनेस पिट के निर्माण कार्य के लिये कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 को आपके आदेश दिनॉक 25-11-2014 के द्वारा अवमुक्त की गयी प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 8.63 लाख का 75 प्रतिशत से अधिक उपभोग कर लिये जाने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण-पत्र दिनॉक 08-05-2015 के फलस्वरूप द्वितीय किस्त/अवशेष धनराशि रू0 8.63 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, शासनादेश संख्या-80/3117/30-3-14-20बी/2013, दिनॉक 07-11-2014 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के अधीन, उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-वाहनों के फिटनेस चेक हेतु फिटनेस पिट की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-79/2015/2083(1)/30-3-2015, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), सिद्धार्थनगर द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।

6- नियोजन अनुभाग-4

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।